C.F 100/-

THE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

WRIT PETITION No. ____ OF 2003

PETITIONER : Kamlakant Tripathi aged about 58 years
Son of Shri Bhagwan din Tripathi
Deputy Ranger,
Korba Forest Division
Bilaspur Circle,
Bilaspur (C.G.)

VERSUS

RESPONDENTS : 1. State of Chhattisgarh through
Secretary Department of Forest,
D.K.S. Bhawan,
Raipur (C.G.)

26/03
Shri Sanjay K. Agrawal
19.09.03

2. Additional Principal,
Chief Conservator of Forest (Admn-Non-Gazetted), D.K.S. Bhawan,
Raipur (C.G.)

3. Conservator of Forest,
Bilaspur Circle,
Bilaspur (C.G.)

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226/227 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

XI-HC-22

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

W.P. No. 3034/2003

मामला क्रमांक ..... सन् 200

विरुद्ध

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश
	14.09.2004 श्री संजय कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता । श्री वी0वी0एस0 मूर्ति, उप महाधिवक्ता एवं श्री संदीप दुबे, पेनल अधिवक्ता वास्ते शासन । तर्क श्रवण किये गये । यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17/9/98 (*अनुलग्नक पी/1*) को आक्षेपित किया गया है जिसके द्वारा उसकी वरीयता एवं इमानदारी के बावजूद उसे पदोन्नति नही दी गई है । याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक ने पूर्व मे अभ्यावेदन (*अनुलग्नक पी/7 एवं पी/8*) प्रस्तुत किये थे परन्तु उनका निराकरण नही किया गया है । शासन की ओर से उपस्थित शासकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि याचिकाकर्ता पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत करे तो उस पर बिना पूर्वाग्रह के विचार किया जायेगा । याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस स्तर पर निवेदन किया कि वर्तमान मे याचिकाकर्ता को पुनः एक अवसर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रदान किया जाये	

71. /
Fax

RA

XI-HC-22

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(99)

आदेश पत्रक

W.P.No. 3034/2003

मामला क्रमांक ..... सन् 200

विरुद्ध

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित -2-	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

एवं उत्तरवादी को निर्देश दिया जाये कि उसका निराकरण शीघ्रातिशीघ्र किया जावे ।

तथ्यों और परिस्थितियों को विचार करने के उपरांत, याचिकाकर्ता को यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से 15 दिवस के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन इस आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत याचिका को संलग्न करते हुये प्रस्तुत करे एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी के द्वारा गुण एवं दोष के विचारोपरांत इसे प्रस्तुत किये जाने के दो माह के भीतर अभ्यावेदन का निराकरण किया जाये । यदि आदेश विरुद्ध मे पारित होता है तो पक्षकार द्वारा विधि के अनुरूप उपलब्ध विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है ।

इस स्तर पर याचिका को निराकृत किया जाता है ।

नियम के अनुसार सत्यप्रतिलिपि ।

Sd/-
Fakhruddin
Judge

[पीछे देखिये